**संख्या:135/2016/611/35-4-2016**

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता ( विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 13 अप्रैल,2016

विषय: वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फैजाबाद में **ग्राम सोनवा मवई के निकट कामाख्या भवानी मन्दिर के पास ओरियर मवई घाट पर गोमती नदी पर सेतु** कार्य की शासनादेश संख्या:597/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च,2013 द्वारा लागत रू. 895.14 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रू. 447.57 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या:134/2016/610/35-4-2016 दिनांक 13 अप्रैल,2016 द्वारा उक्त कार्य को रू. 1056.84 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 30 जुलाई,2014 तथा मुख्य अभियंता, (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या–792 बी.जी./7बी.-3 त्व0आ0वि0यो0 /2015-16 दिनांक 13 मई,2015 द्वारा उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए द्वितीय किश्त के रूप में देय धनराशि रू. 397.90 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तानवे लाख नब्बे हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2013 तथा शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल,2016 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/ □ी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर डि□ाजिट कार्यों के रू□ में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञा□ संख्या-ए-2-47/दस-97- 10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार डि□ाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।

3- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित □नरीक्षित लागत के सा□क्ष 80 प्रतिशत की सीमा तक धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरू□ □ूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही □ूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4- स्वीकृत धनराशि का उ□योग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक □ूर्ण रू□ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से □ूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का □ूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://basicedesign.up.nic.in

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7 कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-सेतुओं के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( अबरार अहमद )
विशेष सचिव

संख्या:135/2016/611(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, फैजाबाद ।
7- जिलाधिकारी, फैजाबाद ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, फैजाबाद ।
10- गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फैजाबाद ।

आज्ञा से ,

( अबरार अहमद )
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in